

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक:-एफ.28()पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/स्थाना-पद/2020/1113

जयपुर, दिनांक 10/06/2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जोधपुर।


विषय:-ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के
स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत।

निर्देशानुसार निम्न ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवक) के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश उनकी संस्थापन संबंधी सूचना से मिलान कर, नियमनुसार जारी करते हुए, विभाग को अवगत करावें।

क्र.सं	नाम	कहां से	कहां को
01	श्री जगदीश उदावत	ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मलार, पंचायत समिति, पीपाडसिटी, जोधपुर (अतिरिक्त कार्यभार ग्राम पंचायत शेखनगर, पंचायत समिति पीपाडसिटी)	ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शेखनगर पंचायत समिति पीपाडसिटी जोधपुर।
02	श्री भजन लाल बिश्नोई	ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सिलारी, पंचायत समिति, पीपाडसिटी जोधपुर	अपने पद के कार्य के साथ-साथ ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मलार, पंचायत समिति पीपाडसिटी, जोधपुर के पद पर अतिरिक्त कार्यभार।


1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम एवं पदनाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परिविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।

4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
5. यदि कोई ग्राम विकास अधिकारी निलंबित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये जावें।


(डॉ धर्मश्याम)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव(एलटी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- ✓ 4. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।


(विजय पाल सिंह !!)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

ACP